न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 133 सन 2019
अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. जगदीश 3. पालाराम 4. इन्द्रावती 5. आरती देवी पुत्र/पुत्रीया रामजीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28/08/2019.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 163/150 की कुल 6.2370हैक व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 476/392 की कुल 6.3250हैक भूमि जो पूर्व में वादी के दादा मुलाराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मूलाराम पुत्र नन्दराम फोत हो चुके है वादी के दादा मूलाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्रगणों पर और हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता सख्या 163/150 की कुल 6.2370हैक भूमि आई एवं इसी प्रकार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 476/392 की कुल 6.3250हैक भूमि प्राप्त हुई है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है अब वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बारो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 , 3 के हकों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहॉ की वादी के हकों की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहॉ तो प्रतिवादी कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु बाद में ईन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि पैतृक भूमि है जो उसे अपने पिता के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का मेरे साथ बराबर का हक हिस्सा है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 जो वादी की बहने है व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईया /पिता के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 163/150 की कुल 6.2370हैक व रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 476/392 की कुल 6.3250हैक भूमि जो पूर्व में वादी के दादा मुलाराम पुत्र नन्दराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा मूलाराम पुत्र नन्दराम फोत हो चुके है वादी के दादा मूलाराम

Scanned with CamScanner

के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्रगणों पर और हुई जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 163/150 की कुल 6.2370हैक भूमि आई एवं इसी प्रकार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 476/392 की कुल 6.3250हैक भूमि प्राप्त हुई है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 ,5 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है अब वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में अब किसी प्रकार का ऐतराज नही है वादी का वाद आपसी सहमति के आधार पर डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज है।प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड ,भू0 प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा चक 14 केएनएन के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मुणा वल्द नन्दा के नाम से दर्ज थी इसी प्रकार पर्चा खतौनी रोही मौजा चक 3 बारानी के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मूणा वल्द नन्दा के नाम से दर्ज थी। वादी के दादा मूणा वल्द नन्दा का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से पूर्णत्या साबित है ।

उपरोक्त रिकार्ड से साबित है कि वादी के दादा मूणा वल्द नन्दा के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद भूमि दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार दादा की सम्पति में पौता/पोतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के कथन है कि वाद भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 ,5 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ,5 स्वय न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया है कि उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो/पिता के पक्ष में किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता हे तो किसी प्रकार को ऐतराज नही है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने भी निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक होने के कारण बहिब राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के स्वीकार करने एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर पैतृक सम्पति साबित होने के कारण एवं पेरोकार राज के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज नही करने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 163/150 की कुल 6.2370हैक एवं रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 476/392 की कुल 6.3250हैक दोनो चकों में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमील शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामचन्द्र पुत्र रामजीलाल जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 रामजीलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2 जगदीश 3. पालाराम 4. इन्द्रावती 5. आरती देवी पुत्र/पुत्रीया रामजीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 421 सन 2019 निर्णय दिनांक– 28/8/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन के खाता संख्या 163/150 की कुल 6.2370हैक्ट एवं रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 476/392 की कुल 6.3250हैक्ट दोनो चकों मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/19 को मेरे हस्ताक्षर एव कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

Scanned with CamScanner